न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/2021

अपीलान्ट

1. लवकुश मीणा पुत्र हुकमसिंह जाति मीणा निवासी बिरहरू तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर जरिए खास मुख्त्यार मनोज शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा जाति ब्राहम्मण निवासी ए– 83, शिवनगर झोटवाडा, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. ग्राम पंचायत सांभरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. कानाराम पुत्र मिसराराम जाति भील निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा तहसील पचपदरा नामान्तरकरण संख्या 483 आदेश दिनांक 20.10.2015 ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

उपस्थितिः– 1. श्री लाधूराम चौधरी वकील अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 22.03.2022

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा खसरा नंबर 4 रकबा 12 बीघा 5 विस्वा भूमि सरहद मौजा सांभरा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 28.9.2015 को उप पंजीयक पचपदरा के पंजीयन क्रमांक 2556 दिनांक 28.9.2015 के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से खरीद कर कब्जा प्राप्त करने से उक्त खातेदारी भूमि पर अपीलाण्ट का ही वैधानिक अधिकार होने से उसके नाम नामान्तरकरण भरकर स्वीकार करना चाहिए था, मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा किसी आधार के अपीलान्ट अस्वीकार करने से पूर्व बिना कोई नोटिस दिये नामान्तरकरण को अस्वीकार कर दिया, जो कानून एवं तथ्यों की दुष्टि से गलत है । अपीलान्ट ने अन्त में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत सांभरा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 483 आदेश दिनांक 20.10.2015 को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्टस को सम्मन जरिये रजिस्ट्री के भिजवाये गये, जो बाद तामिल के प्राप्त हुए। उत्तरदाता संख्या 01 ग्राम पांचायत सांभरा के द्वारा लिखित में जबाब पेश किया गया। उत्तरदाता संख्या –2 बावजूद तामील सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी ।

हमनें विद्ववान अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह स्पष्ट साबित है कि अपीलान्ट [illegible] के सरपंच द्वारा खंसरा नंबर 4 रकबा 12 बीघा 5 विस[illegible] का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 483 आदेश दिनांक 20.10.2015 के [illegible] अस्वीकृत करने मे कानून एवं न्याय की दृष्टि से भूल की है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:31:28 IST
Reason: SelfAttested

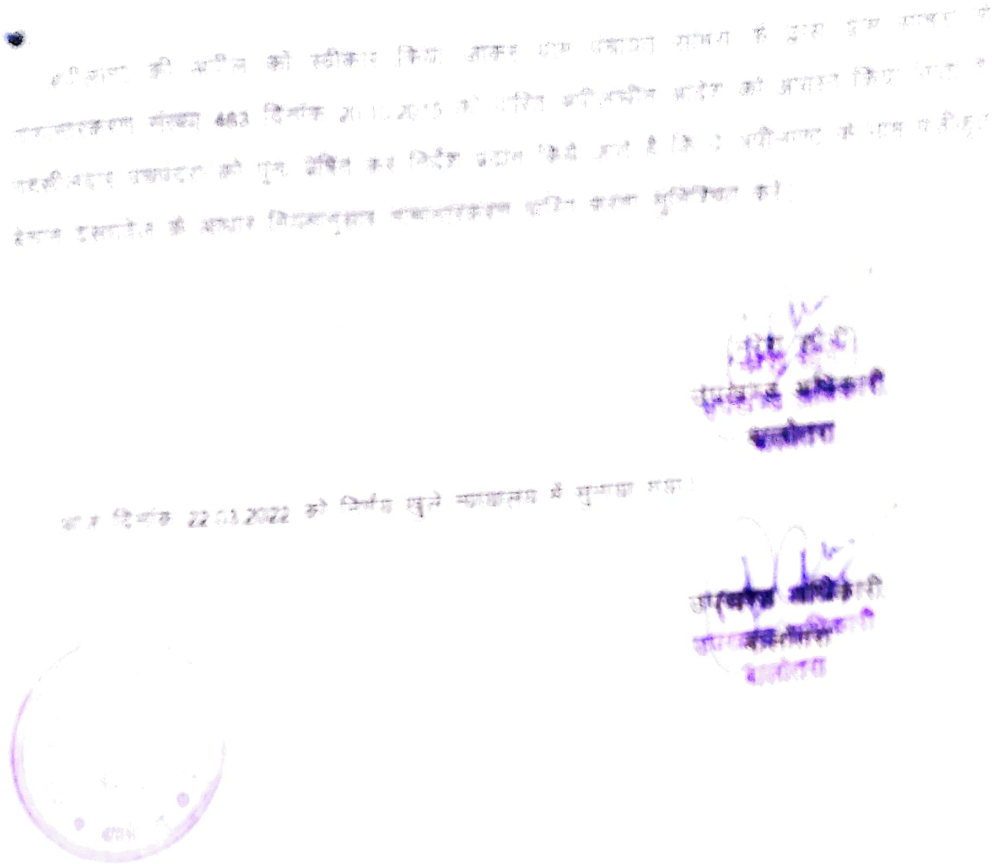

अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर [illegible] के द्वारा [illegible] के नामांतरकरण संख्या 463 दिनांक 20.11.2015 को पारित प्रत्यर्थी/अधीनस्थ आदेश को अपास्त किया जाता है तहसीलदार [illegible] को पुनः [illegible] का निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि [illegible] अपीलार्थी के [illegible] [illegible] के आधार विधिअनुसार नामांतरकरण पारित करना सुनिश्चित करें।

[illegible]
अनुविभागीय अधिकारी
[illegible]

आज दिनांक 22.03.2022 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
[illegible]
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:31:28 IST
Reason: SelfAttested